संख्या-974/2025/626/22-2-2025-17(149)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 04 अगस्त,2025

विषय :- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेशी सुनार पुत्र श्री नन्हेलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4736/प्रो0अनु0(2)-287/2025/(बैठक दिनांक-30.01.2025) दिनांक-03-02-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेशी सुनार पुत्र श्री नन्हेलाल, जो मंशाराम फाटक मो0 सेनापति कूचॉ, थाना-कोतवाली, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। प्रथम केस में दिनांक 30.11.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 10 वर्षीय बालिका का अपहरण किया तथा 27,000/- की फिरौती लेने की घटना कारित की गयी। द्वितीय केस में दिनांक 28.09.1994 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर साढ़े चार वर्षीय बालक का फिरौती के लिये अपहरण की घटना कारित की गयी। तृतीय केस में दिनांक 12.12.1998 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 10 वर्षीय बालिका का अपहरण, लूट व बलात्कार करने के बाद हत्या की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी०नं०-11/1999, भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश, (द०प्र०क्षे०अधि०) फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 31.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, (2) एस०टी०नं०-3/1995, भा0द0वि0 की धारा-364ए, 368 के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश, (द०प्र०क्षे०अधि०) फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 09.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, (3)-एस०टी०नं०-02/1999, भा0द0वि0 की धारा-364ए, 394, 302, 376, 201 के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 31.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 20.01.2025 के अनुसार प्रथम वाद में अपरिहार 19 वर्ष, 06 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 00 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है, द्वितीय वाद में अपरिहार 26 वर्ष, 01 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 31 वर्ष, 08 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है एवं तृतीय वाद में अपरिहार 19 वर्ष, 06 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 00 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 20.01.2025 तक बंदी की आयु 52 वर्ष, 08 माह, 24 दिन है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप प्रभावित कर सकता है। (2) बंदी पुनः अपराध कर सकता है। (3) दोनो पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से शान्त नहीं हुआ है। (4) बंदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.06.2023 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रथम केस में दिनांक 30.11.1958 को बदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 10 वर्षीय बालिका का अपहरण किया तथा 27,000/- की फिरौती लेने की घटना कारित की गयी। द्वितीय केस में दिनांक 28.09.1964 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर साढ़े चार वर्षीय बालक का फिरौती के लिये अपहरण की घटना कारित की गयी। तृतीय केस में दिनांक 12.12.1998 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 10 वर्षीय बालिका का अपहरण लूट व बलात्कार करने के बाद हत्या की घटना कारित की गयी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गनेशी सुनार पुत्र श्री नन्हेलाल को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेशी सुनार (बन्दी संख्या-25993) पुत्र श्री नन्हेलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-974/2025/626(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।